अति महत्वपूर्ण

संख्या- 12/2025/119/सैंतालीस-का-5-2025-(1788429)

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक :** 27-02-2025

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है तथा शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है तथा वर्ष 2024-25 से समस्त कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासन के स्पष्ट निर्देश होने के उपरान्त भी वर्ष 2023-2024 की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य समय से न पूर्ण होने के कारण समय-समय पर वर्कफ्लो जनरेशन/स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्यअंकन हेतु निर्धारित तिथि को बढाया गया है। शासनादेश संख्या-08/2025/21/सैंतालीस-का-5-2024(1884274) दिनांक 06.02.2025 द्वारा वर्कफ्लो जनरेशन जनरेशन के लिए दिनांक 12.02.2025 तक का अतिरिक्त समय देते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्यअंकन हेतु क्रमशः दिनांक 16.02.2025, 20.02.2025, 24.02.2025 एवं दिनांक 28.02.2025 तक का समय प्रदान किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयक विचारोपरान्त वर्ष 2023-2024 की वार्षिक प्रविष्टियों हेतु प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन के लिये क्रमशः दिनांक 05.03.2025, 10.03.2025 एवं दिनांक 15.03.2025 तक का समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समस्त वांछित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पूर्ण कराने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या-08/2025/21/सैंतालीस-का-5-2024(1884274) दिनांक 06.02.2025 एवं प्रकरण में पूर्व निर्गत शासनादेशों की शेष शर्ते / प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
12. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।